उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

विविध वाद (Miscellaneous Case)वाद सं0–23 /2024–25

श्री फिरु साहु

बनाम

सरकार

03.04.25

1. आवेदक 1. श्री फिरु साहु पिता–स्व0 गंगा साहु ग्राम–उर्मी डानटोली पोस्ट–टैंसेरा थाना–गुमला जिला–गुमला के थाना सं0–64 खाता सं0–101 प्लॉट सख्या कमशः–877 एवं 878 रकबा कमशः–0.16 एकड़ एवं 0.48 एकड़ खतियानी भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है।
2. प्राप्त आवेदन के आलोक में कार्यालय पत्रांक–821/विधि दिनांक–26.09.2024 द्वारा अंचल अधिकारी गुमला से वर्णित भूमि का जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जिसके आलोक में में अंचल अधिकारी गुमला के पत्रांक–724 दिनांक–05.10.2024 द्वारा समर्पित भूमि का जाँच प्रतिवेदन अनुसार मौजा–उर्मी थाना–गुमला जिला–गुमला के थाना सं0–64 खाता सं0–101 प्लॉट संख्या कमशः–877 एवं 878 रकबा कमशः– 0.58 एकड़ एवं 0.48 एकड़ भूमि का खतियानी रैयत बहीरा तेली वो कोनदा तेली पेशरान मुकुन्द तेली कौम तेली दर्ज है।
3. प्रश्नगत भूमि का अद्यतन पंजी ii रैयत बन्धन तेली वो सोमरा तेली वो गंगा तेली वो सोमरा तेली वो मन्दन तेली पेशरान कोन्दा तेली है। प्रश्नगत भूमि मौजा–उर्मी खाता सं0–101 प्लॉट सं0–877 एवं 878 रकबा कमशः–0.42 एकड़ एवं 0.02 एकड़ भूमि का अधिग्रहण गुमला बाईपास सड़क निर्माण योजना के तहत् की गई है। प्रश्नगत भूमि के अधिग्रहण के पश्चात प्लॉट सं0–877 में 0.16 एकड़ भूमि एवं प्लॉट सं0–878 में 0.46 एकड़ भूमि अवशेष बचती है।
4. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गुमला के पत्रांक–492/भू0अ0 दिनांक–31.12.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण गुमला बाईपास सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत किया गया है। खाता सं0–101 प्लॉट सं0–877 रकबा–0.58 एकड़ में से 0.42 एकड़ भूमि एवं प्लॉट सं0–878 रकबा–0.48 एकड़ भूमि में से 0.02 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, तथा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है।
5. आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–उर्मी थाना–गुमला के थाना–सं0–64 जिला–गुमला के अन्दर खाता सं0–101 प्लॉट

Scanned with OKEN Scanner

स0–877 रकबा–0.58 एकड़ एव प्लाट स0–878 रकबा–0.24 एकड़ भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है। जिसका आर0 एस0 खतियान बहीरा तेली वगै0 के नाम से कायमी दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत का पोता है। प्रश्नगत भूमि का राजस्व रसीद आवेदक के पिता गंगा साहु उर्फ गंगा तेली वगै0 के नाम से निर्गत होते आ रहा है।

6. आवेदक का वंशावली निम्नवत है:–

स्व0 बहीरा तेली

- गंगा तेली उर्फ गंगा साहु
  - फिरु साहु
  - एतवा साहु
  - टेपन साहु
  - बिलस साहु
- स्व0 सोमरा तेली
  - पिनटा साहु
  - रामटहल साहु
  - बहुरा साहु

7. प्रश्नगत भूमि आवेदक के अन्य हिस्सेदारों के साथ आपसी उत्तराधिकारी मौखिक बंटवारा से प्राप्त है, जिसपर आवेदक का शांति पूर्वक दखल कब्जा है। आवेदक की प्रश्नगत भूमि को सरकार द्वारा गुमला बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल रकबा–0.48 एकउ़ भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है तथा आवेदक को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त हो चुका है, साथ ही प्रश्नगत भूमि पर मुआवजा से संबंधित अथवा अन्य किसी प्रकार का विवाद नही है। अधिग्रहित भूमि का विवरणी निम्नवत है मौजा–उर्मी थाना–गुमला थाना सं0–64 जिला–गुमला के खाता सं0–101 प्लॅट सं0–0.58 अधिग्रहण के बाद अवशेष रकबा–0.16 एकड़ एवं खाता सं0–101 प्लॉट सं0–878 रकबा–0.48 एकड़ में से अधिग्रहण के बाद अवशेष रकबा–0.46 कुल अवशेष रकबा–0.62 एकड़ भूमि है।
8. आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि की सरकार द्वारा अधिग्रहण के पश्चात अवशेष रकबा–0.62 एकड़ भूमि में से 0.44 एकड़ भूमि को अपने बीमारी के ईलाज एवं पुत्री के विवाह हेतु बिकी करना चाहते है। रुपये की व्यवस्था करना भूमि बिकी के अलावे अन्य कोई उपाई नही है। प्रश्नगत भूमि का अंचल अमीन गुमला के द्वारा सीमांकन किया गया है जिससे आवेदक पूर्णतः सत्य एवं मान्य पाया। अंचल अमीन के सीमांकन को कभी अमान्य नही करेगा। प्रश्नगत भूमि आवेदक के हक वो हिस्से की है तथा किसी प्रकार का विवाद भविष्य में होता है तो उसका सारी जबाबदेही अवोदक का होगा।
9. प्रश्नगत भूमि NGDRS पोर्टल में लॉक है। जिससे अनलॉक किये बिना भूमि की बिकी नही हो पा रही है, तथा आवेदक को अपनी बीमारी

Scanned with OKEN Scanner

के ईलाज एवं पुत्री के विवाह हेतु एकरारनामा के तहत् शेष राशि केता से प्राप्त नही हो पा रहा है जिससे आवेदक को काफी कठिनाई हो रही है।

10. आवेदक के द्वारा NGDRS पोर्टल में लॉक भूमि को अनलॉक करने का अनुरोध किया गया है।

11. अंचल अधिकारी गुमला ने अपने पत्रांक–949 दिनांक–11.01.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि स्थानीय जाँच में विवाद नही पाया गया। प्रश्नगत भूमि का स्थानीय जाँच में प्राप्त जानकारी के अनुसार प्लॉट सं0–877 रकबा–0.16 एकड़ पर चमरु साहु पिता–स्व0 मदन साहु ग्राम–उर्मी एवं प्लॉट सं0–878 रकबा–0.46 एकड़ में फिरु साहु पिता– गंगा साहु पिता–स्व0 सोमरा साहु सुधराम साहु पिता–स्व0 रामटहल साहु बहुरा साहु पिता–स्व0 सोमरा साहु ग्राम–उर्मी का दखल है।

12. निबंधन महानिरीक्षक, राजस्व, निबंधन एवु भूमि सुधार विभाग झारखण्उ राँची के अधिसूचना सं0–452/नि0 दिनांक–07.09.2021 के अनुसार विभागीय अधिसूचना सं0–585 दिनांक–10.10.2019 के आलोक में NGDRS पोर्टल में सूचिबद्ध प्रतिबंधित भूमि की सूची से वर्णित भूमि को मुक्त करने के लिए सुनवाई हेतु आवेदक को नोटिस निर्गत की गई एवं उनके दावे से संबंधित वाछिंत दस्तावेज की मांग की गई। सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को आवेदक अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से भूमि से संबंधित दस्तावेज समर्पित किया गया है।

13. निबंधन महानिरीक्षक, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड राँची के अधिसूचना सं0–452/नि0 दिनांक–07.09.2021 के अनुसार विभागीय अधिसूचना सं0–585 दिनांक–10.10.2019 के आलोक में NGDRS पोर्टल में सूचिबद्ध प्रतिवंधित भूमि की सूची के किसी प्लॉट को विशेष परिस्थिति में Genuine Reason के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को सुनवाई हेतु प्राधिकृत किया गया है।

आवेदक द्वारा समर्पित दस्तावेजों अंचल अधिकारी, गुमला के पत्रांक–724 दिनांक–05.10.2024 जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गुमला के पत्रांक–492/भू0अ0 दिनांक–31.12.2024 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं निबंधन महानिरीक्षक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड राँची के अधिसूचना सं0–452/नि0 दिनांक–07.09.2021 के अनुसार विभागीय अधिसूचना सं0–585 दिनांक–10.10.2019 के आलोक पर NGDRS पोर्टल में सूचीबद्ध प्रतिबंधित भूमि की सूची में से मौजा–उर्मी थाना–गुमला जिला–गुमला के थाना सं0–64 खाता सं0–101 प्लॉट सं0–877 कुल रकबा–0.58 में से 0.16 एकड़ एवं प्लॉट सं0–878 कुल रकबा–0.48 एकड़ में से 0.46 एकड़ भूमि को निम्नलिखित शर्तो के साथ मुक्त किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

(क) आवेदक [redacted]ण्ड पर अथवा भू–खण्ड के संबंध में ऐसा कोई भी [redacted]रेगें जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की किसी भी धारा अथवा झारखण्ड राज्य में प्रभावी किसी भी अधिनियम, परिनियम, नियमावली अथवा सरकारी निदेश के प्रतिकूल हो।

(ख) संबंधित भू–खण्ड पर किसी भी प्रकार के हस्तांतरण (स्थायी अथवा अस्थायी) से संबंधित दस्तावेजों का निबंधन से पूर्व जिला अवर निबंधक गुमला संतुष्ट हो लेगें कि हस्तांतरण CNT Act. के प्रावधानों के अनुकूल हो तथा किसी भी नियम का उल्लंघन न हो।

(ग) भू–खण्ड के संबंध के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है जो इंगित करती है कि संबंधित भू–खण्ड को प्रतिबंधित सूची में रखना ही नियत संगत हो तो वैसी स्थिति में इस आदेश को संशोधित अथवा निरस्त किया जा सकता है।

(घ) आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में भविष्य में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर आदेश की समीक्षा की जा सकेगी।

(ड़) यदि भविष्य में यह संज्ञान में आता है कि आवेदक के द्वारा भू–खण्ड की प्राप्ति (खरीद/विरासत/अन्य) नियम संगत नही थी तो इस आदेश को निरस्त किया जा सकेगा।

जिला अवर निबंधक, गुमला को निदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत 0.62 एकड़ भूमि का कय–बिकय/निबंधन के उपरान्त गुमला बाईपास सड़क निर्माणयोजना के तहत् जिला भू–अर्जन कार्यालय द्वारा अधिग्रहित 0.62 एकड़ भूमि को कय/बिकय/निबंधन को रोकने हेतु पुनः NGDRS Portal में प्रतिबंधित भूमि की सूची में सूचीबद्ध कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेगें।

आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अंचल अधिकारी/जिला अवर निबंधक, गुमला एवं DPMU गुमला को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला।

उपायुक्त,
गुमला।

Digitally signed by localhost
Date: 2025.04.19 12:13:39 +05:30
Location: 192.168.5.103

Scanned with OKEN Scanner